न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–171/2019

1. सुखजीतसिह
2. गुरजीतसिह

} पुत्रगण बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. सुखमन्दरसिह दतक पुत्र बसो कौर पत्नी महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीतकौर पत्नी बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. प्रभजोतकौर पुत्री बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 12.07.2019

वादीगण सुखजीतसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 7 एस.एल. डबल्यू के खाता सं0 6 में वादीगण एंवम् प्रतिवादीगण के नाम कुल 6.578 है0 व चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 95 में कुल 1.973 है0 में वादीगण 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीसं0 1 का 1/2 हिस्सा के तथा चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 94 में कुल भूमि 6.999 है0 में वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण सं0 1 व 2 सगे भाई है व प्रतिवादी सं0 1 भी वादीगण का सगा भाई है जो बसो कौर को गोद दिया हुआ है व प्रतिवादीसं0 2 वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 की माता है तथा प्रतिवादीसं0 3 वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 की सगी बहिन है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि का अर्सा पूर्व घरेलू विभाजन हुआ था व विभाजन के बाद वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 का कब्जा वादपत्र की दफा 4 के अनुसार चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रुप से कर दिया था। वादपत्र की दफा 4 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 ब0हि0ब0 उपरोक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे भूमि वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। प्रतिवादीसं0 1, वादीगण का सगा भाई है जो बसों कौर को गोद दिया हुआ है। वादपत्र की दफा 2 में दर्ज भूमि का अर्सा पूर्व घरेलू विभाजन हो गया था व विभाजन के समय हम प्रतिवादीया

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

सं0 2 व 3 ने वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से अपने अपने हिस्सा की आराजी वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया था। घरू विभाजन में मुताबिक राजीनामा के वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए मुताबिक राजीनामा के राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वाके चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 94 में कुल 6.999 है0 व चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 95 में कुल भूमि 1.973 है0 तथा चकनं0 7 एसआर डबल्यू के खाता सं0 6 कुल भूमि 6.578 है0 में वादीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादीसं0 1 को उक्त तीनों चूकको में 1/3–1/3– 1/3 हिस्सा यानि ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 7 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 6 मे प्रतिवादीसं0 2 व 3 का नाम कलमजन करने व चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 94 में वादीगण सं0 1 व 2 का हिस्सा कम तथा चकनं0 5 आर.के. खातासं0. 95 में प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–171/2019

1. सुखजीतसिह
2. गुरजीतसिह

} पुत्रगण बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. सुखमन्दरसिह दतक पुत्र बसो कौर पत्नी महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीतकौर पत्नी बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. प्रभजोतकौर पुत्री बगड़सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादीग्ण्ज्ञ मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाके चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 94 में कुल 6.999 है0 व चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 95 में कुल भूमि 1.973 है0 तथा चकनं0 7 एसआर डबल्यू के खाता सं0 6 कुल भूमि 6.578 है0 में वादीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादीसं0 1 को उक्त तीनों चूककों में 1/3–1/3–1/3 हिस्सा यानि ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 7 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 6 मे प्रतिवादीसं0 2 व 3 का नाम कलमजन करने व चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 94 में वादीगण सं0 1 व 2 का हिस्सा कम तथा चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 95 में प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12-07-2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner